सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु समितियां

1964. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत वर्षों के दौरान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु सिफारिशें तथा सुझाव देने के लिए दो समितियां, अर्थात सैकिया समिति और मजूमदार समिति गठित की थीं;

(ख) यदि हां, तो ये समितियां कब-कब गठित की गई थीं;

(ग) क्या उपरोक्त समितियों ने सरकार को अपने अपने प्रतिवेदन सौंप दिए हैं; और

यदि हां, तो दोनों समितियों द्वारा की गई समान तथा भिन्न सिफारिशें/सुझाव क्या-क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) शिक्षा विभाग ने बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने तथा इस मौलिक अधिकार को लागू करने की दिशा में उचित सांविधिक उपायों का सुझाव देने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने और प्रस्ताव के अन्तर्निहित कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में दिनांक 29 अगस्त, 1996 को मंत्रियों की एक समिति गठित की थी।

समिति ने जनवरी, 1997 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की थीं:

(i) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार तथा बच्चों के माता-पिता को शैक्षिक अवसर प्रदान करने को मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधित किया जाए।

(ii) राज्य प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए अपने मौजूदा कानून में संशोधन करें अथवा नया कानून बनाएं।

(iii) स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य तौर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए 40,000 करोड़ रु० की अतिरिक्त निधियों की जरूरत पड़ेगी।

(iv) शिक्षा विभाग ऐसे विशेषज्ञों जो अतिरिक्त निधियों के लिए संभावित स्रोतों का भी निर्धारण कर सकते हैं, से परामर्श करके इन अनुमानों का गहराई से अध्ययन करें।

सैकिया समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, इस विभाग ने अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा वित्तीय आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों का सुझाव देने, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच उचित अंशदान की व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए दिनांक 18 जून, 1997 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था।

प्रो० तापस मजूमदार की अध्यक्षता वाले दल ने सरकार को फरवरी, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। दल की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थीं:

(i) प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दस वर्षों की अवधि के लिए 136,822 करोड़ रु० की अनुमानित राशि की अतिरिक्त आवश्यकता।

(ii) सही मायने में इस अवधि में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर मानकर, सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए सरकारी आवंटनों में वृद्धि करना।

(iii) कर राजस्व में वृद्धि, गैर-कर राजस्व में बढ़ोत्तरी, शिक्षा के सरकारी व्यय के ढांचा निर्माण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना।

Financial crisis in Central Schools

1965. DR. C. NARAYANA REDDY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that central schools are facing a severe financial crisis;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to improve condition of teachers?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) to (c)